भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2762
उत्तर देने की तारीख: 21.03.2022

विद्यालयों की वास्तविक/डिजिटल अवसंरचना

2762. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित राज्य-वार स्कूलों की वास्तविक/डिजिटल अवसंरचना तथा अन्य गतिविधियों हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार धनराशियों के आबंटन का रिकार्ड रखती है तथा यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भागलपुर जिला सहित जिला-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) क्या सरकार के पास प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के पदों की संख्या के संबंध में कोई नीति है तथा यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूलों के भौतिक/डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समग्र शिक्षा के तहत जारी की गई राशि का बिहार सहित राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। निधि जिलेवार नहीं बल्कि राज्यवार जारी की जाती है।

(ग): आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्कूलों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निर्धारित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर, पीटीआर मानदंड 30:1 है और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 35:1 है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज+) 2019-20 के अनुसार, सभी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर

प्राथमिक स्तर पर 26, उच्च प्राथमिक स्तर पर 18, माध्यमिक स्तर पर 18 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 26 है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर यूडाइज+ 2019-20 के अनुसार राज्य-वार पीटीआर **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र के कारण और छात्रों की संख्या में वृद्धि / नए स्कूलों में अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। हालांकि, शिक्षा मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकों और सलाह के माध्यम से अनुरोध करता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती के लिए सहायता उपलब्ध कराती है।

*****

अनुलग्नक-I

'विद्यालयों की वास्तविक/डिजिटल अवसंरचना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अजय कुमार मंडल द्वारा दिनांक 21.03.2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2762 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत 03 वर्षों के दौरान स्कूलों की भौतिक/डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए जारी निधि का बिहार सहित राज्य-वार विवरण

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	355.90	319.70	606.155
2	आंध्र प्रदेश	10606.48	16438.03	2095.650
3	अरुणाचल प्रदेश	1311.78	2912.44	3268.090
4	असम	5235.37	5244.76	9230.530
5	बिहार	21478.70	685.05	68.950
6	चंडीगढ़	105.79	4.20	5.975
7	छत्तीसगढ	8162.43	16885.96	151.280
8	दादरा और एन. हवेली	271.30	201.05	22.490
9	दमन और दीव	0.00	194.87	
10	दिल्ली	2285.73	2874.71	1532.847
11	गोवा	59.97	117.35	80.410
12	गुजरात	16082.15	16855.95	5871.530
13	हरियाणा	8349.87	3023.66	7700.104
14	हिमाचल प्रदेश	7077.89	3798.38	5962.008
15	जम्मू और कश्मीर	38764.53	10180.65	12603.335
16	झारखंड	0.00	165.68	1619.935
17	कर्नाटक	1512.41	5023.27	2.430
18	केरल	2676.40	900.36	899.190
19	लद्दाख		1861.12	2429.680
20	लक्षद्वीप	34.43	149.22	15.700
21	मध्य प्रदेश	47014.63	36652.00	10168.190
22	महाराष्ट्र	11366.50	6687.37	2613.910
23	मणिपुर	6889.80	2332.23	11558.980
24	मेघालय	1490.84	651.05	1705.930
25	मिजोरम	247.57	1857.27	4081.330
26	नागालैंड	4624.75	1931.51	5708.780
27	ओडिशा	20928.55	33140.06	3897.700
28	पुदुचेरी	107.96	136.62	72.495
29	पंजाब	9545.05	5071.17	6541.160
30	राजस्थान	34379.14	66911.49	26309.563
31	सिक्किम	1451.53	2016.10	1115.180
32	तमिलनाडु	18838.51	16642.89	18658.740
33	तेलंगाना	15920.50	28456.48	0.000
34	त्रिपुरा	2250.09	3169.24	15719.480
35	उत्तर प्रदेश	15005.72	43001.69	39608.851
36	उत्तराखंड	432.18	13314.78	20139.889
37	पश्चिम बंगाल	3478.29	4257.18	1003.420

	कुल	**318342.76**	**354065.54**	**223069.89**

अनुलग्नक-II

'विद्यालयों की वास्तविक/डिजिटल अवसंरचना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अजय कुमार मंडल द्वारा दिनांक 21.03.2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2762 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर राज्य-वार पीटीआर दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्राथमिक **(1से5)**	उच्च प्राथमिक **(6-8)**	माध्यमिक **(9-10)**	उच्चतर माध्यमिक **(11-12)**
	भारत	**26.5**	**18.5**	**18.5**	**26.1**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.8	9.6	8.6	8.3
2	आंध्र प्रदेश	24.4	16.8	15.9	39.8
3	अरुणाचल प्रदेश	12.8	8.8	11.1	15.1
4	असम	21.6	13.6	11.0	16.0
5	बिहार	55.4	19.4	51.8	59.3
6	चंडीगढ़	25.1	14.7	10.8	24.3
7	छत्तीसगढ	19.3	17.8	17.2	14.2
8	दादरा और नगर हवेली	27.6	20.5	26.7	30.1
9	दमन और दीव	29.7	22.5	14.1	15.2
10	दिल्ली	32.7	29.3	27.6	17.9
11	गोवा	27.3	17.6	9.9	17.3
12	गुजरात	29.8	23.3	32.6	27.9
13	हरियाणा	23.3	16.9	12.2	12.3
14	हिमाचल प्रदेश	15.3	8.5	7.5	9.5
15	जम्मू और कश्मीर	15.4	8.5	12.1	20.2
16	झारखंड	30.6	22.0	33.7	54.5
17	कर्नाटक	20.9	16.3	16.1	32.1
18	केरल	25.9	20.3	14.8	21.5
19	लद्दाख	10.3	4.1	7.2	12.5
20	लक्षद्वीप	9.5	5.9	5.1	9.0
21	मध्य प्रदेश	27.5	17.2	29.2	34.6
22	महाराष्ट्र	25.7	26.2	20.3	37.0
23	मणिपुर	13.2	10.3	9.5	15.5
24	मेघालय	19.5	13.3	11.5	20.0
25	मिजोरम	16.1	7.5	9.7	13.3
26	नागालैंड	12.5	7.8	10.0	18.1
27	ओडिशा	16.0	14.9	17.6	66.1
28	पुदुचेरी	17.2	13.2	9.5	15.3
29	पंजाब	25.0	22.3	13.9	16.1
30	राजस्थान	24.8	12.0	11.4	15.1
31	सिक्किम	6.7	8.6	10.9	10.7
32	तमिलनाडु	20.1	15.1	12.6	20.3
33	तेलंगाना	22.7	13.1	9.9	21.8
34	त्रिपुरा	14.7	17.0	16.0	9.6
35	उत्तर प्रदेश	30.6	24.4	28.7	40.5
36	उत्तराखंड	18.5	17.9	13.8	18.4
37	पश्चिम बंगाल	29.5	27.6	18.3	27.0

*****